

**राजस्थान के मेडिकल कॉलेजो मे
चल रही जम कर धांधलियाँ!!!**

**स्वास्थ्य विभाग, सीबीआई और एनएमसी और अन्य
जांच एजेंसियों द्वारा लगातार डाले जा रहे छापे!!!**

**पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशन मे देश के 12 मेडिकल कॉलेजो
पर स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार द्वारा मारे गए थे छापे!!!**

इन 12 मेडिकल कॉलेजो मे से 4 उदयपुर के!!!

अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर,


अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस,

गीतांजलि मेडिकल कॉलेज,

पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस

विशेष रिपोर्ट-1

राजस्थान के मेडिकल कॉलेजो पर, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जकड़ा शिकंजा!!!



राज्य सरकार का तुलमुल रवैया!!!

भास्कर Original देश में पहली बार
ऐसी कार्रवाई

एक दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के छापे

पवन कुमार | नई दिल्ली

देश में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसे एक दर्जन मेडिकल कॉलेजों पर छापे की कार्रवाई की गई है, जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही थीं। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि मंत्रालय की मेडिकल एजुकेशन विंग को भी भनक नहीं लगी। अभी तक मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ जांच और छापे की कार्रवाई नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) करती थी।

सूत्रों का कहना है कि कोरोना में कई नए मेडिकल कॉलेज को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये निरीक्षण करके मान्यता दे दी गई थी। इसके बाद बहुत से मेडिकल कॉलेजों की शिकायत स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल रही थी। मंत्रालय स्तर पर इनकी जांच के बाद देश के केंद्रीय अस्पतालों के 3 से 6 डॉक्टरों की अलग-अलग टीमों बनाई गई। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद

6 मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी

महाराष्ट्र में धुले के एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और मद्र में जबलपुर के सुख सागर मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे थे। कार्रवाई में मेडिकल कॉलेजों में जो खामियां और गड़बड़ी पाई गई, उसकी अंतिम रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसी के आधार पर सख्त कार्रवाई के लिए एनएमसी को कहा जाएगा।

गड़बड़ियां ऐसी : छापे के दौरान कुछ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में मरीज कम थे। कई जगहों पर फैकल्टी सिर्फ दस्तावेजों में थे। तो लाइब्रेरी में मापदंड के मुताबिक किताबें नहीं थी।

मंत्री के निर्देशन में देश के 12 मेडिकल कॉलेजों पर स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार द्वारा मारे गए थे छापे!!!

केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार के 3 से 6 डॉक्टरों की गठित कमिटी द्वारा इस वर्ष जनवरी से लेकर अब तक देश भर के 12 मेडिकल कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण मेडिकल कॉलेजों द्वारा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मेडिकल सुविधाओं में लगातार आ रही गिरावट को लेकर किए गए थे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया के निर्देश पर निरीक्षण दलों द्वारा देश के बड़े शहरों

धुले, जबलपुर, उदयपुर, हैदराबाद और चेन्नई के बड़े मेडिकल कॉलेजों पर यह कार्यवाही की गयी। इन औचक निरीक्षणों के बाद कुछ कॉलेजों को शो-काउंज नोटिस जारी किए गए जबकि एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। निरीक्षण दलों द्वारा

अपनी कार्यवाही रिपोर्ट नेशनल मेडिकल कमीशन को सौंप दी है जो इस मामले में अग्रिम कार्यवाही करेगा।

एनएमसी एक्ट 2019 के अनुसार मेडिकल कॉलेजो को न्यूनतम मानदंडो की पालना करना आवश्यक है, जिसमे इन कॉलेजो द्वारा लगातार ढिलाई/लापरवाही बरती जा रही थी। सूत्रो के अनुसार इन मेडिकल कॉलेजो मे जरूरत से कम मरीज, मानदंडो से कम स्टाफ होना और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को यह कदम उठाना पड़ा। इन निरीक्षणों को इतना गोपनीय रखा गया था कि निरीक्षण दलो के सदस्यों को भी छापे के समय ही छापे वाले स्थान की जानकारी दी गयी थी। यह छापे दिनांक 24/02/2022 को उदयपुर के अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, पेसेफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और जबलपुर के सुख सागर मेडिकल कॉलेज पर मारे गए थे। इसके अलावा 30/03/2022 को VELS मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडू, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तेलंगाना, CMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद, MNR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तेलंगाना, TRR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद और अरुंदती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तेलंगाना पर मारे गए थे।

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या वजह रही कि विभाग के मंत्री को खुद के स्तर पर इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम देना पड़ा।
2. देशभर मे कितने मेडिकल कॉलेज है, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा इन मेडिकल कॉलेजो के नियमित निरीक्षण करने की क्या व्यवस्था है? नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा विगत दो वर्षों मे ऐसे कितने मेडिकल कॉलेजो मे अनियमितताएं पकड़ी गयी थी?
3. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण के उपरांत किस मेडिकल कॉलेज को अनियमितताओ के चलते बंद करवाया गया था?
4. नेशनल मेडिकल कमीशन के कौन कौन अधिकारी इन मेडिकल कॉलेजो के साथ मिल कर, इन मेडिकल कॉलेजो को मनमर्जी करने की छूट दे रहे है?
5. इतनी बड़ी कार्यवाही करने के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग इस कार्यवाही पर खामोश क्यों है? आखिर क्यों विभाग इन कॉलेजो की असलियत जनता के सामने लाने मे हिचकिचा रहा है?
6. मेडिकल कॉलेजो की यह कारस्तानी, क्या जनता और देश को धोखा देने के समान नहीं है?
7. अनियमितताएं बरतने वाले मेडिकल कॉलेजो पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

